रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (DN.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 620] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
No. 620 NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1984

का. आ. 954 (अ).—1-8-1984 से श्री ओ. पी. शर्मा का पदनाम बदल जाने के फलस्वरूप भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड (3) उप-खण्ड (2) में प्रकाशित भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या 350 ई दिनांक 1 मई, 1984 में जहां कहीं भी "विधि

अधिकारी" शब्द आए हों, वहां उनके स्थान पर "वरिष्ठ विधि अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

[फा. सं. टी. जी. डी. (18)/84]

जी. जे. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 1984

S.O. 954(E).—Consequent upon the change in the designation of Shri O. P. Sharma with effect from 1-8-1984, in the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification No. 350(E) dated 1st May, 1984, published in the Extraordinary issue of Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) in place of the words "Law Officer" wherever it appears, the words "Senior Law Officer" may be substituted.

[File No. TGD(18)|84]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985